

EAST CENTRAL RAILWAY  
YELLOW BULLETIN  
(June -2025, ISSUE NO. 84)

**Irregularities/Deficiencies noted during Headquarter Inspections: -**

|    |  |
|----|--|
| 1. | At BXR station under Danapur Division, during the physical verification of a stabled load (Ec/ARA) on line no. 02, it was observed that the load was not secured as per the provisions of G&SR 5.23 at the PNBE end.   |
| 2. | At HYT station under Samastipur division, only the English version of the Station Working Rules was found to be available. As per norms, it should be maintained in diglot format.   |
| 3. | During the inspection of T-369(3b) issuing practices at Bela under DNR Division and Karhagola Road stations under SEE division, several procedural irregularities by the Station Masters were commonly observed, which are not in line with standard guidelines: <ul style="list-style-type: none"><li>• Signal names were not written in capital letters.</li><li>• The full station name was not mentioned.</li><li>• Full signature of the issuing Station Master was not affixed.</li><li>• These deviations indicate a need for improved compliance with prescribed documentation standards during the issuance of T-369(3b) to ensure operational accuracy and safety.</li></ul> |
| 4. | UP IBH signal post telephone between KRS and BEA under Danapur division has been non-functional since 11.05.2025.  |
| 5. | During the inspection at Karhagola Road station under SEE Division on 21.06.2025, two fire extinguishers were found available; however, their testing was overdue since 11.05.2025.  |
| 6. | At LC No. 5/T, at Karhagola Road station under SEE Division, Railway Act boards were not available on either side, and retro-reflective strips on both ends of the stop boards affixed to the booms were found missing.  |
| 7. | During the inspection at KRS station under Danapur Division, repeated attempts—seven to eight times—to contact the TPC control via the TPC phone went unanswered, despite clearly announcing the station name each time.   |
| 8. | Wall clock was found unavailable at Karhagola Road station under SEE division.   |
| 9. | At LC No. 5/C, at SHEO under SPJ division, both sides Railway Act Board and the speed breaker were found missing.  |

**SPECIAL ATTENTION:**

1. It must be ensured that the employee deputed/deployed as Gateman has undergone proper training and possesses a valid competency certificate.
2. Ensure that the communication system between the Gateman and the Station Master is in proper working condition, and the exchange of private numbers is being carried out and duly recorded.
3. Exchange of 'All Right' signal from both side of stations must be ensured as per GR&SR 4.42.
4. Ensure that the train is brought to a stop clear of the fouling marks, in compliance with GR&SR Rule 4.56.

Divisions are advised to immediately circulate this information in yellow colour printouts to all concerned personnel for prompt action and compliance. A compliance report should be submitted to this office for onward submission.

MANOJ  
KUMAR  
RANJAN  
(M. K. Ranjan)  
Dy COM/G/ECR

Digitally signed  
by MANOJ  
KUMAR RANJAN  
Date: 2025.07.11  
17:11:19 +05'30'

No.ECR/OPTG. Safety/Yellow Bulletin/87/505

Dated - 05.07.2025

Copy to:

- i. PCOM & PCSO- for kind information please.
- ii. DRM- DHN, DNR, DDU, SEE & SPJ - for information please.
- iii. Sr. DOM -DHN, DNR, DDU, SEE & SPJ for information & necessary action please.
- iv. ZRTI MFP & BHULI for information please.

## पूर्व मध्य रेल

### येलो बुलेटिन

(जून - 2025 अंक सं - 84)

मुख्यालय द्वारा किए गये निरीक्षण के दौरान पाए गए कमियों/अनियमितताओं को समाहित करते हुए:-

|   |  |
|---|--|
| 1 | दानापुर मंडल के अंतर्गत बक्सर स्टेशन पर, लाइन संख्या 02 पर स्टेबल लोड (इलेक्ट्रिक/आरा) के भौतिक सत्यापन के दौरान, यह देखा गया कि लोड को पटना छोर की तरफ से G&SR 5.23 के प्रावधानों के अनुसार सुरक्षित नहीं किया गया था।  |
| 2 | समस्तीपुर मंडल के अंतर्गत हायाघाट स्टेशन पर स्टेशन संचालन नियमावली केवल अंग्रेजी संस्करण में उपलब्ध था। यह DIGLOT फॉर्म में उपलब्ध होना चाहिए।   |
| 3 | निरीक्षण के दौरान पाया गया कि दानापुर मंडल के बेला स्टेशन और सोनपुर मंडल के काढ़ागोला रोड स्टेशन पर स्टेशन मास्टर द्वारा टी-369(3बी) जारी करते समय निम्नलिखित मानक प्रक्रिया एवं दिशानिर्देशों का अनुपालन नहीं किया है: <ul style="list-style-type: none"><li>• सिगनल के नाम बड़े अक्षरों में नहीं लिखे गए थे।</li><li>• स्टेशन का पूरा नाम नहीं लिखा गया था।</li><li>• जारी कर्ता स्टेशन मास्टर का पूर्ण हस्ताक्षर नहीं था।</li><li>• इस प्रकार की कमी परिचालनिक स्पष्टता और संरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए टी-369(3बी) जारी करने के दौरान निर्धारित दस्तावेज़ीकरण मानकों के बेहतर अनुपालन की आवश्यकता को इंगित करते हैं।</li></ul> |
| 4 | दानापुर मंडल के अंतर्गत कारीसाथ और बिहिया के बीच अप आई.बी.एच सिगनल पोस्ट टेलीफोन 11.05.2025 से खराब है।  |
| 5 | दिनांक 21.06.2025 को सोनपुर मंडल के काढ़ागोला रोड स्टेशन पर निरीक्षण के दौरान पाया कि दो अग्निशामक यंत्र उपलब्ध है लेकिन उनका निर्धारित परीक्षण 11.05.2025 से ड्यू था।   |
| 6 | सोनपुर मंडल के काढ़ागोला रोड स्टेशन पर समपार फाटक सं 5/T पर, रेल अधिनियम बोर्ड दोनों तरफ उपलब्ध नहीं था, और दोनों बूम पर लगे स्टॉप बोर्ड पर रेट्रो-रिफ्लेक्टिव पट्टियाँ नहीं लगा था।   |
| 7 | दानापुर मंडल के अंतर्गत कारीसाथ स्टेशन पर निरीक्षण के दौरान, टी.पी.सी फोन के माध्यम से टी.पी.सी नियंत्रण कक्ष से संपर्क करने के लिए सात से आठ बार स्टेशन के नाम के साथ प्रयास किया गया, लेकिन टीपीसी नियंत्रण कक्ष से कोई जवाब नहीं मिला।  |
| 8 | सोनपुर मंडल के काढ़ागोला रोड स्टेशन पर दीवार घड़ी उपलब्ध नहीं पाया गया।  |
| 9 | समस्तीपुर मंडल के शिशो स्टेशन पर समपार फाटक सं. 5/C पर, दोनों तरफ रेल अधिनियम बोर्ड और गति अवरोधक नहीं पाया गया।   |

विशेष रूप से ध्यान दें:

1. सुनिश्चित करें कि गेट मैन में कार्य करने के लिए प्रतिनियुक्त कर्मचारी का उचित प्रशिक्षण और उसके पास वैध सक्षमता प्रमाणपत्र उपलब्ध है।
2. सुनिश्चित करें कि स्टेशन मास्टर एवं गेटमैन के बीच संचार साधन काम कर रहा है एवं प्राइवेट नंबर का आदान प्रदान कर इसका रिकार्ड किया जा रहा है।
3. सामान्य एवं सहायक नियम 4.42 के अनुसार आलराइट सिगनल का आदान-प्रदान स्टेशनों के दोनों साईड से किया जाना सुनिश्चित करें।
4. सुनिश्चित करें कि गाड़ी उल्लंघन चिन्ह (Fouling Mark) को साफ कर खड़ी हुई है (सा. नि. एवं सहा. नि.4.56)।

“मंडलों को सलाह दी जाती है कि सर्व संबंधित को तत्काल वितरित कर कार्यवाही सुनिश्चित करें और उपरोक्त अनियमितताओं/विसंगतियों/विशेष ध्यान के अनुपालन के संबंध में रिपोर्ट इस कार्यालय को आगे की कार्यवाही हेतु प्रेषित करें।”

MANOJ KUMAR  
KUMAR RANJAN

Digitally signed by MANOJ  
KUMAR RANJAN  
Date: 2025.07.11 17:12:10 +05'30'

(मनोज कुमार रंजन)

उप मुख्य परिचालन प्रबंधक (सा)/पूमरे  
दिनांक 11.07.2025.

सं. ई.सी.आर. /परि.सं./ येलेबुलेटिन/ 87 /505,

प्रतिलिपि-1. प्रधान मुख्य परिचालन प्रबंधक एवं प्रधान मुख्य संरक्षा अधिकारी को सादर सूचनार्थ।

2. मंडल रेल प्रबंधक धनबाद, दानापुर, डी.डी.यू., सोनपुर एवं समस्तीपुर को सादर सूचनार्थ।

3. वरि. मं. परि. प्रबंधक धनबाद, दानापुर, डी. डी. यू. सोनपुर एवं समस्तीपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु।

4. क्षेत्रीय रेलवे प्रशिक्षण संस्थान, मुजफ्फरपुर और भूली को सूचनार्थ।